तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बिरदीचन्द उर्फ बिरदा बनाम रामेश्वर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/178**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.26	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रभावहीन होने से खारिज किये जाने प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त अपील पत्थरगढ़ी आदेश दिनांक 08.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई है। पत्थरगढ़ी का आदेश सीमाज्ञान दिनांक 02.08.2017 के आधार पर पारित किया गया था एवं सीमाज्ञान करने का आदेश कैम्प हिरनोदा में दिनांक 21.06.2017 को पारित किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा सीमाज्ञान करने के आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरूद्ध एक अन्य अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील संख्या 20/2024 पेश कर सीमाज्ञान करने के आदेश दिनांक 26.06.2017 को खारिज करवाया जा चुका है। ऐसे में जब सीमाज्ञान आदेश ही निरस्त हो गया है, तो सीमाज्ञान के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है, जो काबिले खारिज है। अतः निर्णय की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपील खारिज किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक कैम्प/हिरनोदा दिनांक 21.06.2017 को प्रश्नगत भूमि के सीमाज्ञान के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 02.08.2017 को किया गया एवं सीमाज्ञान आदेश दिनांक 02.08.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2024 पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अब चूँकि उपखण्ड अधिकारी के उक्त सीमाज्ञान करने के आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 20/2024 के निर्णय दिनांक 24.02.2025 के द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बिरदीचन्द उर्फ बिरदा बनाम रामेश्वर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/178**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय के सीमाज्ञान करने के आदेश दिनांक 21.06.2017 को निरस्त किया जा चुका है, तो उसके उक्त आदेश के आधार पर की गई सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के आदेश स्वतः प्रभावहीन हो चुके है। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील खारिज किये जाने में अपनी सहमति भी दी है। ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।